

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2013—आश्विन 12, शक 1935

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-4-4-2013-चौवन-2.—वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रतिनिधियों का सदस्य के रूप में नामांकन करता है:—

- (1) श्री आरिफ बेग आत्मज स्व. श्री करामत बेग, निवासी ई-78, बी.डी.ए. कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल.
- (2) श्री मेहबूब हुसैन आत्मज श्री मंसूर हुसैन, निवासी बी-1, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल.
- (3) श्री एम. आर. खान आत्मज श्री एच. आर. खान, निवासी-एम.आई.जी. 18, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल (राप्रसे, उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरंजना रे, अपर मुख्य सचिव.